परिशिष्ट

परिशिष्ट - I (पैराग्राफ 1.6 के सन्दर्भ में)

बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्र

मंत्रालय/विभाग	अवधि जिससे अनुदान सम्बंधित है	मार्च 2015 तक देय बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्रों की संख्या	राशि (₹ लाख में)
परमाणु उर्जा विभाग	1991-08	116	527.33
	2008-13	332	2,698.83
	2013-14	714	5,735.09
योग		**1,162**	**8,961.25**
जैव प्रौद्योगिकी विभाग	विवरण उपलब्ध नही		
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	विवरण उपलब्ध नही		
वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसन्धान विभाग	विवरण उपलब्ध नही		
अंतरिक्ष विभाग	1976-08	116	799.93
	2008-13	111	409.14
	2013-14	62	256.64
योग		**289**	**1,465.71**
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	1983-08	416	2,844.56
	2008-13	192	2,074.45
	2013-14	116	651.14
योग		**724**	**5,570.15**
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	1981-08	5,495	24,288.69
	2008-13	655	21,861.94
	2013-14	प्राप्त नहीं हुआ	प्राप्त नहीं हुआ
योग		**6,150**	**46,150.63**
नवीन एवं नवीकरणीय उर्जा मंत्रालय	2005-08	9	31.94
	2008-13	301	20,785.77
	2013-14	423	64,213.24
योग		**733**	**85,030.95**
जल संसाधन, नदी विकास तथा गंगा संरक्षण मंत्रालय	1986-08	33	196.15
	2008-13	205	2,624.84
	2013-14	11	7,385.99
योग		**249**	**10,206.98**
कुल योग		**9,307**	**1,57,385.67**

परिशिष्ट - II (पैराग्राफ 1.8 के सन्दर्भ में)

वर्ष 2014-15 के दौरान अपलिखित की गयी हानियां और न वसूल होने वाली देयताओं का विवरण

(राशि ₹ लाख में)

मंत्रालय/विभाग का नाम	अपलिखित की गयी हानियां और न वसूल होने वाली देयताओं के कारण									
	प्रणाली की असफलता		उपेक्षा/धोखेबाजी इत्यादि		अन्य कारण		वसूली का माफ़ करना		एक्स-ग्रेशिया अदायगी	
	मामले	राशि	मामले	राशि	मामले	राशि	मामले	राशि	मामले	राशि
परमाणु उर्जा विभाग	-	-	-	-	27	6.17	-	-	-	-
जैव प्रौद्योगिकी विभाग	उपलब्ध नहीं									
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	उपलब्ध नहीं									
वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसन्धान विभाग	उपलब्ध नहीं									
अंतरिक्ष विभाग	-	-	-	-	20	14.85	1	0.07	1	1.00
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	शून्य									
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	उपलब्ध नहीं									
नवीन एवं नवीकरणीय उर्जा मंत्रालय	शून्य									
जल संसाधन, नदी विकास तथा गंगा संरक्षण मंत्रालय	उपलब्ध नहीं									
योग	**-**	**-**	**-**	**-**	**47**	**21.02**	**1**	**0.07**	**1**	**1.00**

परिशिष्ट - III (पैराग्राफ 1.10 के सन्दर्भ में)

विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से मार्च 2015 को समाप्त वर्ष तक वांछित कृत कार्यवाही टिप्पणी (ए.टी.एन.) की दिसम्बर 2015 में संक्षिप्त स्थिति - ए.टी.एन. जो मंत्रालयों/विभागों से पहली बार भी प्राप्त नहीं हुए हैं।

प्रतिवेदन संख्या एवं वर्ष	पैराग्राफ संख्या	शीर्षक	ए.टी.एन. की प्रस्तुति में देरी (महीनों में)
परमाणु ऊर्जा विभाग			
1) 2012-13 का 13	10.1	₹ 3.32 करोड़ का परिहार्य व्यय	37
2) 2013 का 22	2.2	स्थापना की अधिसंरचनात्मक सुविधाओं के सृजन के बिना यंत्र की खरीद में जल्दबाजी	24
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय			
3) 2014 का 27	5.1	राष्ट्रीय डाटा प्लव परियोजना	10
4) 2014 का 27	5.2	ग्रेच्यूटी का अनियमित भुगतान	10
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय			
5) 2013 का 21	पृथक एकल	भारत में प्रतिपूरक वनरोपण	24

परिशिष्ट - IV (पैराग्राफ 1.10 के सन्दर्भ में)

विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से मार्च 2015 को समाप्त वर्ष तक वांछित कृत कार्यवाही टिप्पणी (ए.टी.एन.) की दिसम्बर 2015 में संक्षिप्त स्थिति - ए.टी.एन. जिनपर लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ दी जा चुकी हैं, परन्तु संशोधित ए.टी.एन. प्राप्त नहीं हुए हैं।

प्रतिवेदन संख्या एवं वर्ष	पैराग्राफ संख्या	शीर्षक	ए.टी.एन. की प्रस्तुति में देरी (महीनों में)
परमाणु ऊर्जा विभाग			
1) 2001 का 5	5.4	निष्फल व्यय (संख्या 5.19 से 5.22)	7
2) 2001 का 5	5.5	लेखापरीक्षा के कहने पर वसूली (संख्या 5.23 से 5.25)	25
3) 2002 का 5	9.1	उपेक्षा के कारण परिहार्य व्यय	25
4) 2014 का 27	2.1	उपकरण का अनुपयोग	5
जैवप्रौद्योगिकी विभाग			
5) 2003 का 5	3.1	डी.बी.टी. की समीक्षा	5
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग			
6) 2005 का 5	5.1	जी.टी.एस. द्विशताब्दी उत्सव पर निष्फल व्यय	7
7) 2006 का 1	3	प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड का कार्य प्रचालन	1
8) 2007 का 13 (पी.ए.)	5.3	डी.एस.टी. में आंतरिक नियंत्रण	15
9) 2008 का सी.ए. 3	5.1	निष्फल व्यय	7
10) 2008 का सी.ए. 3	5.2	सेवा का अनियमित विस्तार	7
11) 2008-09 का सी.ए. 16	5.3	बीरबल साहनी पुरावनस्पति विज्ञान संस्थान, लखनऊ की गतिविधियाँ	6
12) 2013 का 22	5.2	परिवहन भत्ते का अस्वीकार्य भुगतान	7
13) 2014 का 27	3.1	विधिक शुल्क का कपटपूर्ण भुगतान	4
14) 2014 का 27	3.2	उपकरणों का प्रतिष्ठापन न करना	4
वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग			
15) 1996 का 6	5.8	उपभोग नहीं हुई विद्युत के लिए अतिरिक्त व्यय	1
16) 1998 का 5	2.1	सी.एस.आई.आर. की कार्यबल लेखापरीक्षा समीक्षा	6
17) 1998 का 5	2.4	दोषपूर्ण समझौते की वजह से हानि	1
18) 1999 का 5	4.4	दोषपूर्ण डिजाइन के कारण अतिरिक्त व्यय	1
19) 2001 का 5	3.2	राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान	1
20) 2003 का 5	2.1	वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की समीक्षा	2

21) 2005 का 5	6.1	निष्फल व्यय	104
22) 2005 का 5	10.2	किण्वन प्रणाली की गैर-स्थापना	1
23) 2007 का 2 (टी.ए.)	13.1	सेवाकर की गैर वसूली	1
24) 2013 का 22	4.1	जीनोमिक्स एवं एकीकृत जीवविज्ञान द्वारा 'जीनोमिक्स अनुप्रयोग केन्द्र' की स्थापन हेतु सार्वजनिक निजी भागीदारी	1
25) 2013 का 29	पृथक एकल	दसवीं पंचवर्षीय योजना के लिए वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के नेटवर्क परियोजनाओं पर प्रतिवेदन	10
अंतरिक्ष विभाग			
26) 2011-12 का सी.ए. 16	19.1	लाइनक ट्यूब के विकास पर निष्क्रिय निवेश	1
27) 2012-13 का 4	पृथक एकल	देवास के साथ हाईब्रिड उपग्रह डिजिटल मल्टीमीडिया प्रसारण सेवा अनुबंध	6
28) 2012-13 का 13	11.1	मांग शुल्क का परिहार्य भुगतान	1
29) 2013 का 22	3.1	एडुसैट उपयोगिता कार्यक्रम	1
30) 2013 का 22	3.3	असुरक्षित परिवहन तथा सामग्री को देरी से कराए बीमा के कारण हानि	6
31) 2014 का 22	पृथक एकल	अंतरिक्ष विभाग द्वारा डी.टी.एच. सेवा हेतु उपग्रह क्षमता का प्रबंधन	1
32) 2014 का 27	4.1	एस.आर.ई.2-मिशन की प्राप्ति में असाधारण विलम्ब	6
33) 2014 का 27	4.2	उपग्रह क्षमता के आवंटन में हानि	1
34) 2014 का 27	4.4	घटकों के क्रय में निष्फल व्यय	1
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय			
35) 2007 का 2 (टी.ए.)	5.1	निष्फल व्यय	36
36) 2008 का सी.ए. 3	7.1	लेखाकरण एवं कार्मिक प्रबंधन गतिविधियों के आधुनिकीकरण के उद्देश्यों की प्राप्ति न होना	34
37) 2008-09 का सी.ए. 16	7.1	बिना मांग के आवासीय मकानों एवं छात्रावास इकाईयों का निर्माण	5
38) 2013 का 22	8.1	पेंशन योजना की अनियमित शुरूआत तथा धनराशि का परिवर्तन	15
पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय			
39) 2001 का 3बी	1.0	जल प्रदूषण से संबंधित पर्यावरण विधि का क्रियान्वयन	27
40) 2008-09 का सी.ए. 16	6.1	ग्राम वृक्षरोपण परियोजना की असफलता	8
41) 2013 का 22	6.1	केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा गैर प्राधिकृत पदों का बारम्बार सृजन तथा उन्नयन	7
42) 2014 का 27	6.3	कार्यालय स्थान के किराए पर अपव्यय	6

परिशिष्ट - V (पैराग्राफ 5.1.2.7 के सन्दर्भ में)

अंतरिक्ष विभाग के सी.ओ.डब्ल्यू.ए.ए. पैकेज की एम.आई.एस. प्रतिवेदनों में अवलोकित कमियां

प्रतिवेदन	प्रतिवेदन संख्या	लेखापरीक्षा अवलोकन
आकस्मिक अग्रिम रजिस्टर	ए.सी.54आर.एन.आर.	सी.ओ.डब्ल्यू.ए.ए. द्वारा जनित प्रतिवेदन ने 1,043 बकाया मामले दर्शाए जबकि मानवीय दस्तावेजों के अनुसार केवल 8 बकाया थे। डी.ओ.एस. ने जनवरी 2016 में बताया कि क्षेत्र विशेषज्ञों की सलाह अनुसार परिवर्तन दिए जाएंगे।
रकम अग्रिम रजिस्टर	ए.सी.62आर.एन.आर.	सी.ओ.डब्ल्यू.ए.ए. द्वारा जनित प्रतिवेदन ने 2002 से 2013 के दौरान 11 प्रविष्टियां दिखाई। लेखापरीक्षा जांच ने दर्शाया कि वास्तव में 41 रकमधारी थे। सी.ओ.डब्ल्यू.ए.ए. द्वारा जनित प्रतिवेदन ने उन स्टाफ सदस्यों के नाम भी दर्शाए जो अब सेवा में नहीं थे तथा उनके भी जो रकमधारी नहीं थे। डी.ओ.एस. ने जनवरी 2016 में बताया कि क्षेत्र विशेषज्ञों की सलाह अनुसार परिवर्तन दिए जाएंगे।
बाल देखभाल अवकाश-अवकाश लेखा	पी.जी.जी.ई.03	प्रतिवेदन ने अवकाश के वे भाग जो रद्द किए जा चुके थे, लिए हुए दिखाए।
वर्ग परिवर्तन योग्यता-चयन योजना	पी.जी.डी.पी.09	वर्ग परिवर्तन योग्यता चयन योजना (सी.सी.एम.एस.एस.) में जनवरी 2008 से सितम्बर 2015 के दौरान पदोन्नत कर्मचारियों की सूची दर्शाने वाली प्रतिवेदन ने दिखाया कि कोई अभिलेख नहीं थे। यद्यपि डाटाबेस से यह स्पष्ट था कि ऐसे मामले थे जहां कर्मचारियों को सी.सी.एम.एस.एस. में उपरोक्त अवधि में पदोन्नत किया गया था। उदाहरणतः दो लोग सी.सी.एम.एस.एस. में जुलाई 2011 व जनवरी 2009 में क्रमशः तकनीकी अधिकारी-सी व तकनीशियन-ए के रूप में पदोन्नत किए गए थे।
संगठन छोड़ देने वाले कर्मचारियों की सूची दर्शाने वाला प्रतिवेदन	पी.जी.जी.ई.25	संगठन छोड़ देने वाले कर्मचारियों की योग्यताएं प्रतिवेदन में गलत दिखाई गई थी। विभाग ने स्वीकार किया कि प्रतिवेदन ने गलत योग्यताएं दिखाई थी।
समीक्षा विश्लेषण (पदोंन्नतों/गैर-पदोंन्नतों का योग्यता आधार पर बंटवारा)	पी.जी.डी.पी.08	एस.सी.आई./ई.एन.जी. - एस.डी. से एस.सी. आई./ई.एन.जी.-एस.ई. पर जाने वाले कर्मचारियों के बारे में दो वर्गों - पदोन्नत तथा टाल दिए गए की 1 जुलाई 2015 को प्रतिवेदन ने शून्य प्रतिवेदन दर्शाया जो तथ्यत: सही नहीं था जैसा मानवीय प्रतिलेखों से देखा गया।
प्रशासनिक कर्मचारियों की समीक्षा से सम्बंधित आंकड़ों पर प्रतिवेदन	पी.जी.डी.पी.04	इस सी.ओ.डब्ल्यू.ए.ए. एम.आई.एस. प्रतिवेदन का उद्देश्य, अर्थात सूचना जो इस प्रतिवेदन से जनित हुई, को पढ़ा नहीं जा सका। यह देखा गया कि प्रतिवेदन किसी भी चयनित दिनांक हेतु एक शून्य प्रतिवेदन जनित कर रहा था।

समीक्षा विश्लेषण	पी.जी.डी.पी.07	लेखापरीक्षा में योग्यता (बी ई/बी टेक) तथा दोबारा 1 जुलाई 2015 को निवास के पैमाने चयन कर इस प्रतिवेदन को जनित किया गया। लेखापरीक्षा में इन प्रतिवेदनों द्वारा जनित सूचनाओं को पढ़ा नहीं जा सका। विभाग ने लेखापरीक्षा प्रश्न का उत्तर नहीं दिया।
वैज्ञानिक/तकनीकी कर्मचारियों की समीक्षा से सम्बंधित आंकडे	पी.जी.डी.पी.01 तथा पी.जी.डी.पी.03	लेखापरीक्षा ने 1 जनवरी 2015 एवं 1 जुलाई 2015 की स्थिति पर दो प्रतिवेदन जनित किए। 1 जनवरी 2015 अवधि की पी.जी. डी.पी.01 प्रतिवेदन के अध्ययन ने दर्शाया कि दो वरिष्ठ टेक-ए कर्मचारी समीक्षा हेतु योग्य थे और दोनों की समीक्षा की गई। प्रतिवेदन का डाटा दिखाता है कि एक मामले को टाल दिया गया था। प्रतिवेदन दूसरे कर्मचारी की स्थिति को नहीं दर्शाती है। इसी प्रकार, एक वरिष्ठ तकनीकी सहायक ए योग्य था और उसकी समीक्षा की गई। इस समीक्षा का परिणाम बिलकुल भी नहीं दर्शाया गया. आगे, 1 जुलाई 2015 की अवधि के प्रतिवेदन में पाँच तकनीशियन - डी को योग्य और समीक्षित दिखाया गया था परन्तु केवल चार लोगों के लिए परिणाम दर्शाया गया था. इसी प्रकार, एक वरिष्ठ तकनीकी परिचारक ए, जिसे योग्य और समीक्षित दिखाया गया था, का परिणाम प्रतिवेदन में मुद्रित नहीं किया गया था। इस सीमा तक, प्रतिवेदन में कमी थी।
साख पत्र स्थिति प्रतिवेदन	एफ.ए.सी.011	विदेशी क्रय आदेशों के लिए भुगतान साख पत्रों द्वारा किये जाते हैं। ऐसा देखा गया कि अप्रैल-मई 2015 की अवधि के दौरान ही चार साख पत्र खोले गए थे। तथापि, अप्रैल-दिसंबर 2015 अवधि के प्रतिवेदन ने सन्देश "दिए गए इनपुट संचय पर कोई अभिलेख नहीं हैं" दर्शाया।
परियोजना लागत के सन्दर्भ में परियोजना रेखा वस्तु अनुसार व्यय स्थिति	एफ.ए.सी.006	परियोजना नाम के चयन हेतु कॉम्बो डिब्बा पहले ही बंद हो चुकी परियोजनाओं के नाम दिखा रहा था। परियोजनाएं पी.एस.एल.वी. तथा जी.एस.एल.वी., एस.डी.एस.सी., एस.एच.ए.आर. में वर्तमान में सक्रिय थे। तथापि, इन परियोजनाओं के प्रतिवेदन भी सन्देश "दिए गए इनपुट संचय पर कोई अभिलेख नहीं हैं" दर्शा रहे थे।
वित्त मोड्यूल	एफ.ए.पी.एस.01 एफ.ए.पी.एस.02 एफ.ए.पी.एस.03 एफ.ए.पी.एस.04 एफ.ए.पी.एस.05	जब इन प्रतिवेदनों का चयन किया गया तो प्रतिवेदन जनित करने के बजाय गलती सन्देश प्रदर्शित हुआ। डी.ओ.एस. ने इसकी पुष्टि की (जनवरी 2016)।

परिशिष्ट - VI (पैराग्राफ 5.2.1 के सन्दर्भ में)

18 सुदूर रोगी एंड अस्पतालों (चरण-I) की सूची

	अस्पताल का नाम
1)	इसरो अस्पताल - श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश
2)	अरगोंडा अपोलो अस्पताल - चित्तूर, आंध्र प्रदेश
3)	त्रिपुरा सुंदरी जिला अस्पताल - उदयपुर, त्रिपुरा
4)	चमराजनगर जिला अस्पताल - कर्नाटक
5)	विवेकानंद स्मारक अस्पताल -सरगुर-मैसूर-कर्नाटक
6)	जी.बी. पन्त अस्पताल - पोर्ट ब्लेयर- अंडमान एवं निकोबार द्वीप
7)	कार निकोबार जिला अस्पताल - अंडमान एवं निकोबार द्वीप
8)	लेह जिला अस्पताल - जम्मू एवं कश्मीर
9)	इंदिरा गाँधी जिला अस्पताल - कवरत्ती -लक्षद्वीप
10)	राजकीय स्वास्थ्य केंद्र - पम्पा/ जिला अस्पताल - पट्टानंथित्ता - केरल
11)	गुवाहाटी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल - असम
12)	कटक चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल - ओडिशा
13)	बेहरामपुर चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल - ओडिशा
14)	बुरला चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल - ओडिशा
15)	कठुआ जिला अस्पताल - जम्मू एवं कश्मीर
16)	जम्मू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल - जम्मू एवं कश्मीर
17)	शेर - ए - कश्मीरी चिकित्सा विज्ञान संस्थान - जम्मू एवं कश्मीर
18)	राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल - श्रीनगर - जम्मू एवं कश्मीर

परिशिष्ट - VII (पैराग्राफ 5.2.1 के सन्दर्भ में)

टेलीमेडिसिन कार्यक्रम में टेलीमेडिसिन नोड का राज्यवार वितरण

राज्य/नेटवर्क	सचल	रोगी एंड निजी	रोगी एंड सरकारी	कुल रोगी एंड	विशेषज्ञ एंड	कुल नोड	चरण-I (2001-03)	चरण-II (2003-07)	चरण-II के बाद (2007-10)
1) आंध्र प्रदेश	2	7	5	12	4	18	2	8	8
2) अरुणाचल प्रदेश	-	1	3	4	-	4	-	4	-
3) असम	-	1	6	7	3	10	1	2	7
4) बिहार	-	1	0	1	-	1	-	1	-
5) छत्तीसगढ़	-	-	15	15	1	16	-	16	-
6) गोवा	-	1	0	1	-	1	-	-	1
7) गुजरात	1	1	5	6	3	10	-	1	9
8) हरियाणा	-	-	2	2	-	2	-	-	2
9) हिमाचल प्रदेश	-	1	1	2	-	2	-	1	1
10) जम्मू एवं कश्मीर	-	-	9	9	3	12	5	1	6
11) झारखण्ड	-	1	0	1	-	1	-	1	-
12) कर्नाटक	2	8	27	35	14	51	3	23	25
13) केरल	2	5	18	23	5	30	3	22	5
14) मध्य प्रदेश	1	1	14	15	2	18	-	1	17
15) महाराष्ट्र	-	4	33	37	4	41	-	4	37
16) मणिपुर	-	-	1	1	-	1	-	1	-
17) मेघालय	-	-	3	3	1	4	-	1	3
18) मिजोरम	-	-	4	4	-	4	-	4	-
19) नागालैंड	-	-	2	2	-	2	-	2	-
20) ओडिशा	-	1	8	9	1	10	3	-	7
21) पंजाब	-	-	6	6	1	7	-	4	3
22) राजस्थान	-	-	38	38	2	40	-	16	24
23) सिक्किम	-	-	2	2	-	2	-	1	1
24) तमिल नाडू	8	10	1	11	9	28	2	4	22
25) त्रिपुरा	-	-	5	5	-	5	1	3	1
26) उत्तराखंड	1	1	2	3	-	4	-	1	3
27) उत्तर प्रदेश	-	2	0	2	1	3	1	-	2
28) पश्चिम बंगाल	1	2	4	6	3	10	1	-	9
29) अंडमान एवं निकोबार द्वीप	-	-	12	12	1	13	2	2	9
30) दिऊ, दमन, सिलवासा	-	-	3	3	-	3	-	-	3

राज्य/नेटवर्क	सचल	रोगी एंड निजी	रोगी एंड सरकारी	कुल रोगी एंड	विशेषज्ञ एंड	कुल नोड	चरण-I (2001-03)	चरण-II (2003-07)	चरण-II के बाद (2007-10)
31) लक्षद्वीप	-	-	5	5	-	5	1	4	-
32) नई दिल्ली	-	-	0	0	3	3	2	-	1
33) पॉडिचेरी	-	-	4	4	1	5	-	5	-
34) केंद्र सरकार अस्पताल	-	-	16	16	2	18	-	13	5
योग	**18**	**48**	**254**	**302**	**64**	**384**	**27**	**146**	**211**
35) निगरानी नोड	-	-	-	-	-	5	-	3	2
कुल योग	**18**	**48**	**254**	**302**	**64**	**389**	**27**	**149**	**213**